

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

विधान सभा - संगलौर (निर्वाचन क्षेत्र से)
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अनिक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी हरपाल
~~अनिक~~ आयु 30 वर्ष, जो ग्राम पंच - लिबरहडी
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... नहीं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... नहीं.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... नहीं..... जिला (जिले) नहीं.....

राज्य..... नहीं.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... नहीं.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... नहीं.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... नहीं.....

स्थान रूड़की

तारीख 12/11/2012

सत्यापन


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रूड़की स्थान पर आज तारीख 12/11/2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

Attested
Mr. Satywan Verma
Advocate & Notary Public
Civil Court, Roorkee (Uttarakhand)

IDENTIFIED BY


KUNWAR SINGH
ADVOCATE
B. N. 904/2000
Civil Court, Roorkee

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी (रुहकी)
कोड संख्या - 5500
- 8 JAN 2012
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 202008

अमित कुमार

शु.0

हरपाल

सि० ग्राम + पो० - लिबरटेरी



IDENTIFIED BY

KUNWAL SINGH

ADVOCATE

R. N. 904/2000
Civil Court, Roorkee

हस्ताक्षर
[Signature]

हस्ताक्षर
[Signature]

Attested

Smt. Satyati Verma
Advocate & Notary Public
Civil Court, Roorkee (Haridwar)